Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीवानी विविध प्रार्थनापत्र संख्या 30/2018 सी.आई.एस 01/2017 1 भंवरलाल बनाम पन्ना व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-01-2026	प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़ उपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री हेमेन्द्र सिह राठौड़ उपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। इस आदेश द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 15-10-2025 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का निस्तारण किया जा रहा है, जिसका जवाब प्रार्थी की ओर से दिनांक 01-11-2025 को पेश किया गया। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण का तर्क रहा है कि उक्त प्रकरण वर्तमान में बहस अंतिम के स्तर पर लम्बित है। अप्रार्थी पन्नालाल 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है तथा उसका स्वास्थ भी ठीक नहीं रहता है एवं न्यायालय के समक्ष अपने अभिभाषक के नहीं आने से वह भी नहीं आया है, इस कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। अप्रार्थी पन्नालाल की साक्ष्य इस प्रकरण में कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यदि उसकी साक्ष्य नहीं हुई तो उससे अप्रार्थी को अत्यधिक असुविधा व नुकसान होगा। अतः न्यायहित में प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी पन्नालाल को साक्ष्य हेतु एक अवसर दिया जाए। इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा है कि साक्ष्य अप्रार्थी हेतु अप्रार्थी को 47 अवसर दिए जा चुके हैं और अवसर दिया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जाए। उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में दिनांक 07-04-2022 को प्रार्थी की साक्ष्य समाप्त की गई। इसके पश्चात साक्ष्य अप्रार्थीगण में दिनांक 24-10-2022, 03-11-2022, 18-11-2022, 09-12-2022, 24-01-2023, 08-02-2023, 10-03-2023, 12-04-2024, 18-05-2023, 04-07-2023, 28-07-2023, 19-08-2023 एवं 06-09-2023 नियत की गई। इसके पश्चात आगामी पेशी दिनांक 29-09-2023 को अप्रार्थीगण की साक्ष्य में पन्नालाल व विष्णु के शपथपत्र पेश किए गए एवं जिरह के लिए पत्रावली दिनांक 20-10-2023 को नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 20-10-2023 को उक्त गवाहान के उपस्थित नहीं आने पर कई पेशियों के बाद दिनांक 31-01-2024 को अप्रार्थी विष्णु	

तारीख हुक्म	दीवानी विविध प्रार्थनापत्र संख्या 30/2018 सी.आई.एस 01/2017 2 भंवरलाल बनाम पन्ना व अन्य 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में
	के बयान डी.डब्ल्यू-1 के रूप में लेखबद्ध किए गए। इसके पश्चात दिनांक 01-03-2024, 04-04-2024, 03-05-2024, 18-05-2024, 04-07-2024, 14-08-2024, 30-08-2024, 06-09-2024, 20-09-2024, 18-10-2024, 13-11-2024, 20-11-2024, 17-12-2024 को शेष साक्ष्य हेतु अवसर देने पर भी गवाह के उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 22-01-2025 को अंतिम अवसर दिया गया। तत्पश्चात आगामी पेशी दिनांक 05-02-2025 को 500/-रूपये कोस्ट पर साक्ष्य अप्रार्थी के लिए अवसर दिया गया। इसके बावजूद भी साक्ष्य हेतु गवाह उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 11-03-2025 को 1000/-रूपये कोस्ट पर पुनः अंतिम अवसर दिया गया। इसके बाद दिनांक 19-04-2025 को 3000/-रूपये कोस्ट पर, तत्पश्चात दिनांक 03-05-2025 को 5000/-रूपये कोस्ट पर पुनः अंतिम अवसर दिया गया। इसके बाद अप्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. पेश करने पर उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 22-08-2025 को निस्तारित किया गया। दिनांक 30-05-2025 को पुनः एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. अप्रार्थीगण की ओर से पेश हुआ जिसका निस्तारण दिनांक 20-09-2025 को किया गया। इसके पश्चात दिनांक 04-10-2025 को साक्ष्य अप्रार्थी उपस्थित नहीं होने पर साक्ष्य अप्रार्थी बंद की जाकर पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर साक्ष्य अप्रार्थीगण में एक गवाह विष्णु की साक्ष्य लेखबद्ध की जा चुकी है एवं लगभग 47 अवसर साक्ष्य अप्रार्थीगण हेतु प्राप्त किए जाने के बावजूद भी साक्ष्य अप्रार्थीगण पूर्ण नहीं की गई, जिस पर न्यायहित में अवसर बंद किया जाकर पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई। इस प्रकार असीमित अवसर दिए जाने के बाद भी अप्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य पेश नहीं करने पर उनकी साक्ष्य बंद की गई है, ऐसी स्थिति में साक्ष्य अप्रार्थीगण पुनः खोली जाकर साक्ष्य हेतु अवसर दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 31-01-2026 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	दीवानी विविध प्रार्थनापत्र संख्या 30/2018 सी.आई.एस 01/2017 3 भंवरलाल बनाम पन्ना व अन्य 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में